<u>Success Story No. 1</u>

<u>घोषणात्मक एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् दीवानी वाद</u>

<u>(जनपद अल्मोडा)</u>

अपील संख्या 50/ 2015 कुन्दल लाल साह ट्रस्ट बनाम प्रेमा राणा आदि – यह अपील अपीलार्थी कुन्दन लाल साह ट्रस्ट द्वारा दीवानी वाद संख्या 26/1995 कुन्दन लाल साह बनाम राम रतन सिंह राणा आदि में सिविल जज, जूनियर डिवीजन अल्मोड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–11–2015 के विरूद्ध दिनांक 23–12–2015 प्रस्तुत की गयी।

इस मामले में प्रत्यर्थीगण भूपेन्द्र सिंह राणा व श्रीमती प्रेमा राणा दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं तथा अपीलार्थी कुन्दन लाल साह ट्रस्ट के पूर्व सचिव की भी इस मामले में मृत्यु होना बताया गया। अपीलार्थी ट्रस्ट के वर्तमान सचिव द्वारा मामले को जारी रखा गया।

इस मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व नियत तिथि दिनांक 07–04–2017 को बहस के दौरान पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता करवायी गयी। दो–तीन घन्टे चली सुलहवार्ता में पक्षकार इस मामले को सुलह समझौते के आधार पर तय कराये जाने बाबत सहमत हुए और पक्षकारों द्वारा मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 08–04–2017 को नियत करवाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 08–04–2017 को पक्षकारान के मध्य पुनः सुलहवार्ता करायी गयी और पक्षकारान इस प्राचीन मामले का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किये जाने हेतु सहमत हुए।

अतैव इस पुराने मामले (वर्ष 1995 से चलायमान दीवानी वाद) में और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित इस मामले में अन्ततः दिनांक 08–04–2017 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वर्षों से चल रहे विवादित अचल सम्पत्ति सम्बन्धित दीवानी विवाद का सुलह समझौते के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से हमेशा हमेशा के लिए निस्तारण हो गया।